

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या- 328 /ix-1/2023-651/ix-1/2011
देहरादून: दिनांक 12 अप्रैल, 2023
अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित, 2019) की धारा-213 में प्रदत्त शक्ति के अधीन अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
	2	यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 229 (1) का संशोधन	3	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 229(1) के क्रमांक (दस) के पश्चात क्रमांक (ग्यारह) निम्नवत् जोड़ा जाएगा- (ग्यारह) वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक-177(ए), 194 (ए), (बी), (सी), (डी), (इ), (एफ), 199 (ए) एवं 206

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

Government Of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 328 /ix-1/2023-651/ix-1/2011
Dehradun : Dated: April 12, 2023

The Governor, In exercise of the power conferred under section 213 of the Motor Vehicle Act, 1988 (as ammended, 2019) is pleased to make the following rule;-

Short title and commencement	1	These rules may be called the Uttarakhand Motor Vehicle (Amendment) Rules, 2023.
	2	It shall come in to force with immediate effect.
Ammendment of sub rule (1) of rule 229	3	After serial no. (10) of rule 229 (1) of Uttarakhand Motor vehicles rules, 2011 (hereinafter referred to as principal rule), serial number (11) shall be added as follows- (11) Senior Enforcement Supervisor- 177(A), 194(A), (B), (C), (D), (E), (F), 199(A) and 206

(Arvind Singh Hyanki)
Secretary